प्रेस प्रकाशनी

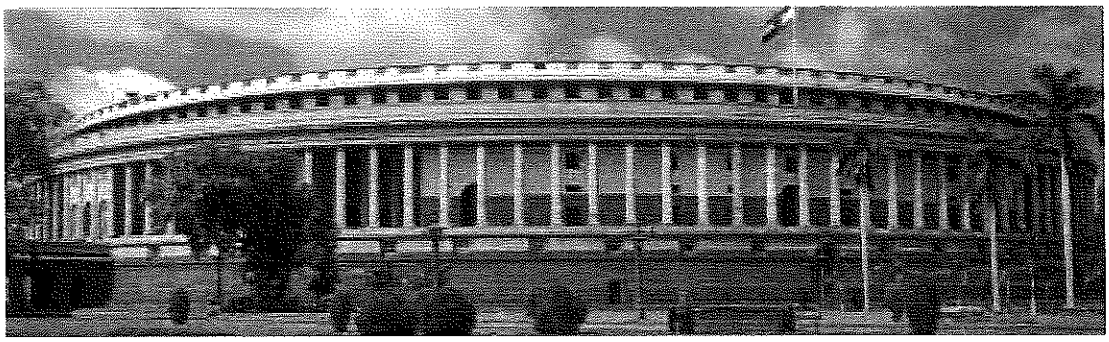

16-03-2021

कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य तथा कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के सभापति ने आज, 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2021-22)" संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

<u>परिव्यय और</u>	समिति ने नोट किया है कि कोविड -19

कोयला उत्पादन के लक्ष्यों के लिए भावी योजनाएं बनाने का आग्रह किया गया	महामारी के अप्रत्याशित ढंग से फैलने और उसके परिणामस्वरूप, मार्च, 2020 से लॉकडाउन लगाए जाने के परिणामस्वरूप विद्युत् और गैर-विद्युत् क्षेत्रों द्वारा मांग कम हो गई थी। इसने सी आई एल से कोयले के प्रेषण को काफी हद तक प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया था। कोविड -19 के कारण, देश में तुलनात्मक रूप से मांग कम होने के कारण, कोयले का वास्तविक उत्पादन और कोयले का ऑफ-टेक लक्ष्य से कम था। कोविड -19 महामारी के कारण, देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोयला अर्थव्यवस्था का समग्र प्रभाव अप्रैल से जनवरी, 2021 के दौरान, मामूली अर्थात -1.9 प्रतिशत आंका गया है क्योंकि अखिल भारतीय कोयला उत्पादन , जो वर्ष 2019-2020 के दौरान जनवरी 2020 तक 555.91 मिलियन टन से वर्ष 2020 - 2021 के दौरान जनवरी 2021 तक घट कर 545.46 मिलियन टन हो गया। समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि आपूर्ति-पक्ष की ओर से कोई कमी नहीं थी, और संविदात्मक/अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए कोयला उपलब्ध था। समिति की यह सुविचारित राय है कि कोविड -19 वायरस के कारण, स्वास्थ्य ख़राब होने के जोखिम के बावजूद, कोयला उत्पादन जारी रखा गया ताकि ज़रूरतमंद उद्योग और खुदरा क्षेत्र को निर्बाध रूप से आपूर्ति होती रहे। कोयला उत्पादक इकाइयों ने अपना

	वायदा निभाया और 'कोयला' अर्थव्यवस्था का अनिवार्य आवश्यक क्षेत्र है, सरकार की इस बात को पूरा निभाया। समिति ने यह भी पाया है कि सी.आई.एल. ने 98 आई.सी.यू. बेड सहित 1513 कोविड केयर आइसोलेशन बेड तैयार किये हैं। इसके अलावा, कंपनी ने पी.एम. केयर फंड में 160 करोड़ रुपए का योगदान देने सहित कोविड-19 राहत की दिशा में 332.83 करोड़ रुपए का योगदान किया है और 80,000 लीटर सैनेटाइज़र का वितरण किया है। समिति, कोयला क्षेत्र के इन अनुकरणीय प्रयासों की सराहना करती है। समिति यह भी आशा करती है कि कोयला उत्पादन का भावी नियोजन, कोयला उत्पादन के परिव्यय और लक्ष्य ऐसे लचीले ढंग से तैयार किये जाएं कि ये अप्रत्याशित वैश्विक/राष्ट्रीय महामारी के क्षेत्र और उसके संभावित प्रभावों के अनुसार, समायोजित हो सके। यद्यपि, कोयला कंपनियां आत्म-निर्भर और उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, समिति ने उनके कार्यबल के कल्याण का ध्यान रखते हुए, यह सिफारिश की है कि सरकार इन कंपनियों को सहायता प्रदान करे जो ऐसी अप्रत्याशित, आकस्मिक और अनियंत्रित परिस्थितियों में देश की जीवन-रेखा साबित हुई है। **(सिफारिश सं. 1)**
<u>योजना आवंटनों और बढे हुए</u>	समिति ने नोट किया है कि कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत

आवंटनों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता की सिफारिश की गई	1266.50 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय का अनुमान लगाया था। तथापि, इस वर्ष के दौरान वास्तविक आवंटन 419.98 करोड़ रुपये है। समिति ने यह भी नोट किया है कि बजट अनुमान (2021-22) के अंतर्गत आवंटित निधियां मंत्रालय को वर्ष 2020-21 के अपने लंबित बकायों अर्थात 417 करोड़ रूपए चुकाने में समर्थ बनाएगी। समिति ने यह आशंका व्यक्त की है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, मंत्रालय की परियोजनाओं / योजनाओं / कार्यकलापों को पूरा करने में काफी बड़ी कमी का सामना करना पड़ेगा यदि संशोधित अनुमान चरण में, कोयला मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित और निधियां नहीं दी जाती हैं। अतः, समिति ने सिफारिश की है कि कुल योजनागत आवंटन की नए सिरे से समीक्षा की जाए और संशोधित अनुमान चरण में वर्धित आवंटनों की मांग की जाए। **(सिफारिश सं. 2)**
समग्र खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के संवर्धन की सिफारिश की गई	समिति ने नोट किया है कि गत तीन वर्षों से कोयला खनन के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यों के लिए पहलें / उपाय किए जा रहे हैं और भूमिगत और ओपनकास्ट खनन तथा कोयला निकासी प्रणाली में अधिक उत्पादन/ उत्पादकता हासिल करने के लिए सी आई एल की खानों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी कोयला कंपनियों द्वारा

	एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और खनन क्षेत्र में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जाए और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण खनन क्षेत्र में इसका संवर्धन किया जाएगा। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन पहलों/ उपायों की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाये। **(सिफारिश सं. 6)**
<u>बढ़े हुए आवंटन का उपयोग करने और संवर्धनात्मक अन्वेषण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता संबंधी आग्रह किया गया</u>	समिति ने यह नोट किया है कि कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में संवर्धनात्मक अन्वेषण योजना के लिए अनुदान भारत सरकार के सकल बजट सहायता से दिया जाता है। यह योजना-दर-योजना नियमित आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए कोयला-लिग्नाइट क्षेत्रीय अन्वेषण की गति बढ़ाने में सहायक होती है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कोयला और लिग्नाइट की उपलब्धता का आकलन करने के लिए प्रारम्भिक वेधन शुरू करना है। समिति ने यह पाया है कि इस योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2020 -21 के लिए, बजट अनुमान 70 करोड़ रुपए था, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ा कर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। तथापि, इस आवंटन में से अप्रैल-दिसंबर 2020 तक 56.72 करोड़ रुपए का ही वास्तविक उपयोग हुआ था, जिसमें से बजट के उत्तर-पूर्व घटक का उपयोग नहीं किया जा सका। समिति को बताया गया है कि नीति के अनुसार, 2डी/3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण

	सहित जी2/जी3 श्रेणी में क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए, नए ब्लॉकों को लिया जाएगा, ताकि कम समय में अधिक क्षेत्र कवर किए जाएं। बजट अनुमान 2021-22 में इसके लिए 130 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जोकि संशोधित अनुमान 2021-22 की अपेक्षा 30 करोड़ रुपए अधिक है। समिति ने कोयला मंत्रालय से आग्रह किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अदोहित सम्भावना का दोहन इतना ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरते कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य 2021-22 के दौरान प्राप्त किए जा सकें। समिति, मंत्रालय से यह आशा करती है कि वह इस वर्धित आवंटन का इष्टतम और कुशल उपयोग करे और वर्ष के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की इष्टतम प्राप्ति हेतु योजना के कार्यान्वयन पर अनुकरणीय ढंग से ध्यान दे। **(सिफारिश सं. 09)**
<u>बजट के पूर्वोत्तर घटक की निगरानी और समीक्षा करने की आवश्यकता संबंधी सिफारिश</u>	समिति को बताया गया है कि कोयला मंत्रालय विशेष रूप से केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का 10% आवंटित करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 419.98 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से,

<u>की गई</u>	अनुसंधान एवं विकास, क्षेत्रीय अन्वेषण, विस्तृत ड्रिलिंग और पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रावधान के रूप में 42.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समिति को बताया गया है कि अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.20 करोड़ रुपए के आवंटित बजट का पूरा उपयोग किया गया है, और वर्ष 2021-22 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत 1.80 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा। योजना के तहत, कोयला क्षेत्र में क्षेत्रीय अन्वेषण और विस्तृत ड्रिलिंग के लिए अनिवार्य प्रावधान के रूप में, वर्ष 2020-21 में 70.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे संशोधित चरण में घटाकर 48.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था। कुल निधि में कटौती किये जाने के कारण, क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण हेतु वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 33.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति ने पाया है कि लगातार प्रयासों के बावजूद, मध्यम से घने वन क्षेत्र, बीहड़ स्थलाकृति, प्रतिकूल कानून और व्यवस्था की स्थिति, स्पेशल लैंड टिनेन्सी एक्ट और अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता जैसे सामान्य कारणों की वजह से, बजट में पूर्वोत्तर के हिस्से की राशि का गत कुछ वर्षों से पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

	हालांकि, निरंतर प्रयासों के माध्यम से, 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित दो परियोजनाएं प्राप्त हुई। पहली का कार्यान्वयन चल रहा है और दूसरी परियोजना को एसएसआरसी की तकनीकी उप-समिति के समक्ष रखा गया है। समिति आशा करती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास जोर-शोर से चलते रहेंगे और उस क्षेत्र में क्षेत्रीय विस्तृत अन्वेषण को पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रशासन के पूर्ण सहयोग के माध्यम से संवर्धित किया जाए। समिति यह आशा करती है कि सीएमपीडीआई की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों की, कोयला अन्वेषण, संवर्धन और उत्पादन से सीधी जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय भागीदारी होगी। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि कोयला मंत्रालय को चाहिए कि वह परियोजनाओं को समय पर निष्पादित करने और निधियों के त्रैमासिक उपयोग के लक्ष्य को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि यह वर्ष के अंत में, वास्तविक व वित्तीय लक्ष्यों में कमी का कारण बन जाए। समिति आशा करती है कि बजट के पूर्वोत्तर घटक की सरकार द्वारा सतत आधार पर निगरानी की समीक्षा की जाए और वैकल्पिक दृष्टिकोण/रणनीति का अनुसरण किया जाए।

	(सिफारिश सं. 12)
वर्ष 2021-22 के दौरान लक्षित कैपेक्स की प्राप्ति के लिए सभी मुद्दों का समाधान करने और चालू उपाय जारी रखने का आगाह किया गया	समिति ने यह नोट किया है कि कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तीनों सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भारत सरकार से बजटीय सहायता लिए बगैर अपने आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से अपनी पूंजी निवेश योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं। समिति ने यह नोट किया है कि इन पीएसयू द्वारा कोयला उत्पादन और इस प्रयोजन हेतु आवश्यक अवसंरचना विकास के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 19246 करोड़ रूपए (सीआईएल-14685 करोड़+एनएलसीआईएल- 2061 करोड़ रूपए + एससीसीएल- 2500 करोड़ रूपए) का प्रस्ताव दिया गया है। जहां तक, वर्ष 2020-21 के दौरान, आवंटनों की तुलना में पूंजी निवेश योजनाओं के कार्यान्वयन का संबंध है, समिति ने यह पाया है कि सभी तीनों पीएसयू के 18967 करोड़ रूपए (सीआईएल-10000 करोड़ रूपए एनएलसीआईएल-6667 करोड़ रूपए और एससीसीएल-2300- करोड़ रूपए) के संशोधित अनुमान की तुलना में जनवरी 2021 तक वास्तविक व्यय 11845.35 करोड़ रूपए (62.45 प्रतिशत) रहा है। निधियों का उपयोग क्रमशः 8626.12 करोड़ रूपए (86.26 प्रतिशत) 2264.17 करोड़ रूपए (33.96 प्रतिशत) और 955.06 करोड़ रूपए (41.52 प्रतिशत) था। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति न करने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ

	परियोजनाओं की तैयारी का चरण, कोविड-19 महामारी, ऑर्डर किए गए संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति, भूमि अधिग्रहण, इंदरम खनि ओपनकास्ट, काकतिया खनि ओपनकास्ट (खुले मुहाने की) – दो और किस्तरम ओपनकास्ट में विलंब, गोदावरी खनि – 5 ओपनकास्ट जैसी नई परियोजनाओं को रोका जाना और अवसंरचना विकास कार्यकलापों में विलंब होना इत्यादि शामिल हैं। समिति, बाधाओं को नोट करते हुए यह आशा करती है कि कोयला मंत्रालय/पीएसयू द्वारा इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने प्रयासों में तेजी लाई जाएगी तथा 2021-22 के दौरान, लक्षित कैपेक्स (सीएपीईएक्स) की प्राप्ति हेतु मौजूदा उपायों का सावधानीपूर्वक और इष्टतम रूप से कार्यान्वयन करेगी और चाहती है कि उसे तीनों सेवाओं द्वारा योजना परिव्यय का पूर्ण उपयोग करने हेतु की गई अग्रिम कार्रवाई से अवगत कराया जाए। **(सिफारिश सं. 15)**
<u>सभी कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा बड़ी बकाया राशि की वसूली के लिए सशक्त प्रयास करना वांछनीय है</u>	समिति ने चिंता के साथ यह नोट किया है कि कई वर्षों से राज्यों और अन्य संस्थापनाओं पर बड़ी राशि बकाया है, और इसके परिणामस्वरूप, 31 जनवरी, 2021 को सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल की बकाया राशि क्रमश: 24,728.62 करोड़ रुपये, 4989.23 करोड़ रुपये और 9072.50 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। मंत्रालय ने यह कहा है कि कोयला बिक्री देयताओं की

	सीआईएल और सहायक कंपनियों द्वारा लगातार निगरानी की जाती है और समय से पहले शुरुआती वसूली के लिए उपभोक्ताओं के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, समय-समय पर, खातों के निपटारे के बाद राज्य विद्युत् बोर्डों (एसईबीज़)/स्टेट गेनकोज़ और सीपीयूज़ की कोयला देयताएं मिलती हैं। हालांकि, कोविड महामारी के दौरान, एसईबीज़ द्वारा पैसों की लिक्विडिटी की कमी के कारण कई राज्य सरकारों ने अविलंब भुगतान पर जोर न देते हुए सीआईएल से निर्बाध कोयला आपूर्ति का अनुरोध किया था। इसलिए, अविलंब ऊर्जा उत्पादन बनाए रखने के लिए देशहित में सीआईएल ने महामारी के दौरान, कोयले की आपूर्ति की, जिससे बकाया राशि में वृद्धि हुई। समिति, तत्काल भुगतान पर जोर दिए बिना कोविड महामारी के दौरान, सीआईएल द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए इच्छा व्यक्त की है कि कोयला/लिग्नाइट पीएसयूज़ द्वारा और अधिक सशक्त प्रयास किए जाएं ताकि विशेष रूप से बिजली उत्पादन इकाइयों, सीमेंट विनिर्माण, उर्वरक उत्पादन आदि जैसे उद्योगों से भारी बकाया राशि वसूल की जा सके इत्यादि और उन वसूलियों के बारे में समिति को बताया जाए। **(सिफारिश सं. 19)**